



करुर भगदड़ जांच में नया मोड़: मंत्रियों पर गवाहों को प्रभावित करने के आरोप, सुप्रीम कोर्ट में आज होगी अहम सुनवाई

चेन्नई/नई दिल्ली। तमिलनाडु के बहुचर्चित करुर भगदड़ मामले की जांच एक बार फिर महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गई है। मामले में गवाहों को प्रभावित किए जाने के गंभीर आरोपों को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता का आरोप है कि इस मामले के कुछ आरोपी, जो वर्तमान राज्य सरकार में मंत्री हैं, जांच को प्रभावित करने और गवाहों पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि इन आरोपों में प्रथम दृष्टया तथ्य पाए जाते हैं तो अदालत जांच की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए नए निर्देश जारी कर सकती है। ऐसे में मंगलवार की सुनवाई को पूरे मामले की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है। मामले की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ

अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने अदालत का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि यद्यपि मामले की जांच पहले से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) कर रही है, लेकिन जांच प्रक्रिया के दौरान कुछ प्रभावशाली लोग गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अदालत से तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि यदि समय रहते ऐसे प्रयासों पर रोक नहीं लगी तो निष्पक्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। वरिष्ठ अधिवक्ता की दलीलों पर विचार करने के बाद अदालत ने मामले को अगले ही दिन सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की। यह मामला न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमालुल्लाह और न्यायमूर्ति शील नागू की आंशिक कार्यदिवस पीठ के समक्ष आया। पीठ ने कहा कि याचिका में लगाए



गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं, इसलिए इस पर विस्तृत सुनवाई आवश्यक है। अदालत मंगलवार को यह भी विचार करेगी कि क्या गवाहों की सुरक्षा और जांच की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के

लिए अतिरिक्त उपायों की आवश्यकता है। याचिका में दावा किया गया है कि जिन व्यक्तियों पर आरोप लगाए गए हैं, उनमें कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जो वर्तमान

तमिलनाडु सरकार में मंत्री पद पर हैं। आरोप है कि वे अपने प्रभाव का उपयोग कर गवाहों के बयान प्रभावित करने या उन्हें दबाव में लाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि इन आरोपों पर संबंधित पक्षों की ओर से अभी विस्तृत जवाब सामने आना बाकी है, लेकिन याचिकाकर्ता का कहना है कि यदि समय रहते अदालत हस्तक्षेप नहीं करती है तो पूरी जांच की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लग सकता है। करुर भगदड़ मामला पिछले वर्ष देशभर में चर्चा का विषय बना था। इस दर्दनाक हादसे में 41 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि अनेक लोग घायल हुए थे। घटना के बाद जांच को लेकर कई सवाल उठे थे और निष्पक्ष जांच की मांग तेज हो गई थी। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए 13 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच राज्य

पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंपने का ऐतिहासिक आदेश दिया था। अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि घटना की गंभीरता और जनहित को देखते हुए स्वतंत्र केंद्रीय एजेंसी द्वारा जांच कराया जाना आवश्यक है ताकि सच्चाई सामने आ सके और पीड़ित परिवारों को न्याय मिल सके। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय यह भी स्पष्ट किया था कि इतनी बड़ी त्रासदी केवल एक राज्य का विषय नहीं, बल्कि पूरे देश की संवेदनशीलता से जुड़ा मामला है। इसलिए जांच किसी भी प्रकार के राजनीतिक या प्रशासनिक प्रभाव से मुक्त होनी चाहिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि निष्पक्ष और पारदर्शी जांच ही न्याय व्यवस्था की जनता का विश्वास बनाए रखने का सबसे प्रभावी माध्यम है। सीबीआई जांच की पारदर्शिता सुनिश्चित

करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश अजय रस्तोगी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय निगरानी समिति का भी गठन किया था। इस समिति का दायित्व जांच की प्रगति पर नजर रखना और यह सुनिश्चित करना है कि जांच निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप निष्पक्ष ढंग से आगे बढ़े। अदालत ने उस समय तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) और एक सदस्यीय जांच आयोग की कार्यवाही पर भी रोक लगा दी थी तथा राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह सीबीआई को सभी आवश्यक दस्तावेज, रिकॉर्ड और प्रशासनिक सहयोग उपलब्ध कराए। यह आदेश उस याचिका पर दिया गया था जिसमें मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की पार्टी तमिलनाडु विजय पार्टी (TVK) ने स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग उठाई थी। याचिका में कहा

गया था कि मामले की निष्पक्ष जांच केवल स्वतंत्र एजेंसी ही कर सकती है और राज्य स्तर पर गठित जांच तंत्र से लोगों का भरोसा कमजोर हुआ है। अब गवाहों को प्रभावित किए जाने के आरोप सामने आने के बाद यह मामला फिर से न्यायिक और राजनीतिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण बन गया है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अदालत को प्रथम दृष्टया यह महसूस होता है कि गवाहों पर दबाव डाला जा रहा है या जांच में हस्तक्षेप हो रहा है, तो वह सीबीआई को गवाहों की सुरक्षा बढ़ाने, आरोपों की अलग से जांच करने अथवा संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दे सकती है। अदालत यह भी देख सकती है कि क्या निगरानी समिति को अतिरिक्त अधिकार या विशेष निर्देश देने की आवश्यकता है।

कर्नाटक की मतदाता सूची पुनरीक्षण पर सियासी घमासान: एनडीए ने चुनाव आयोग से की जांच की मांग, एसआईआर प्रक्रिया पर उठाए गंभीर सवाल

बेंगलुरु। कर्नाटक में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान को लेकर राजनीतिक विवाद लगातार गहरता जा रहा है। सोमवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी वी. अंकु कुमार से मुलाकात कर विस्तृत शिकायत सुनी और एसआईआर प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल का आरोप है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एनडीए नेताओं ने अपनी शिकायत में कहा कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में से एक है और इसका उद्देश्य मतदाता सूची को त्रुटिरहित तथा विश्वसनीय बनाना होता है। लेकिन राज्य में जिस प्रकार से यह अभियान संचालित किया जा रहा है, उससे इसकी निष्पक्षता प्रभावित होने की आशंका उत्पन्न हो गई है। प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि पुनरीक्षण कार्य में लगे कई अधिकारी और कर्मचारी चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित मानकों और प्रक्रियाओं की अनदेखी कर रहे हैं, जिससे पूरी कवायद का उद्देश्य कमजोर पड़ सकता है।



शिकायत पत्र में दावा किया गया कि अनेक स्थानों पर मतदाता गणना प्रपत्र (Enumeration Forms) निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार घर-घर जाकर भरवाने के बजाय समुदायिक भवनों, मस्जिदों तथा कुछ बुध स्तर अधिकारियों (बीएलओ) के निजी आवासों पर भरवाए जा रहे हैं। एनडीए नेताओं का कहना है कि यह तरीका चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के विपरीत है और इससे मतदाता सत्यापन प्रक्रिया की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है। प्रतिनिधिमंडल ने यह भी आरोप लगाया कि एसआईआर अभियान को लेकर विभिन्न क्षेत्रों में व्हाट्सएप समूह बनाए गए, जिनके माध्यम से लोगों को विरोधी स्थानों पर जाकर अपने प्रपत्र भरने के लिए प्रेरित किया गया। एसआईआर अभियान को लेकर विभिन्न क्षेत्रों में व्हाट्सएप समूह बनाए गए, जिनके माध्यम से लोगों को विरोधी स्थानों पर जाकर अपने प्रपत्र भरने के लिए प्रेरित किया गया। एसआईआर अभियान को लेकर विभिन्न क्षेत्रों में व्हाट्सएप समूह बनाए गए, जिनके माध्यम से लोगों को विरोधी स्थानों पर जाकर अपने प्रपत्र भरने के लिए प्रेरित किया गया।

सकता है। एनडीए नेताओं ने पत्र में कहा कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने वाला अभियान है। यदि इसमें निर्धारित नियमों से किसी भी प्रकार का विचलन होता है तो इसका सीधा असर चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और मतदाता सूची की विश्वसनीयता पर पड़ सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान में अपनवाई जा रही कार्यवाही से भविष्य में एक ऐसी मतदाता सूची तैयार होने का खतरा है, जिसकी प्रामाणिकता पर सवाल उठ सकते हैं। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चुनाव अधिकारी से मांग की कि पूरे मामले की तत्काल उच्चस्तरीय जांच कराई जाए और अब तक भरे गए सभी गणना प्रपत्रों का घर-घर जाकर पुनः सत्यापन अनिवार्य रूप से कराया जाए। उनका कहना है कि प्रत्येक मतदाता का भौतिक सत्यापन ही यह सुनिश्चित कर सकता है कि सूची में शामिल सभी नाम वास्तविक और पात्र मतदाताओं के हैं। एनडीए नेताओं ने यह भी मांग उठाई कि यदि जांच में किसी अधिकारी, कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चुनाव आयोग के दिशा-

निर्देशों के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी और विभागीय कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर लापरवाही या नियमों की अनदेखी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर ख़िलाफत का विषय है और ऐसे मामलों में जवाबदेही तय होना आवश्यक है। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से किसी भी प्रकार का विचलन स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि एसआईआर अभियान का मूल उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी, त्रुटिरहित और विश्वसनीय बनाना है, लेकिन यदि नियमों का पालन नहीं होगा तो यह उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। फिलहाल मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय की ओर से शिकायत प्राप्त होने की पुष्टि की गई है, हालांकि आरोपों पर कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब निम्नलिखित इस बात पर टिकी है कि निर्वाचन आयोग के पास मतदाताओं के हैं। कर्नाटक में आगामी चुनावी गतिविधियों को देखते हुए यह मामला राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

नई दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के बहुचर्चित करोड़ों रुपये के कथित बैंक धोखे के मुख्य आरोपी और भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को अपनी अंतिम कानूनी लड़ाई में भी बड़ा झटका लगा है। यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय (ECMR) ने उसकी अंतिम याचिका खारिज कर दी है, जिसके बाद उसके भारत प्रत्यर्पण के रास्ते में मौजूद सभी कानूनी बाधाएं लगभग समाप्त हो गई हैं। अब मामला केवल ब्रिटेन और भारत के बीच प्रशासनिक औपचारिकताओं तक सीमित रह गया है। सूत्रों के अनुसार ब्रिटेन सरकार ने प्रत्यर्पण प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की तैयारी तेज कर दी है और इस संबंध में भारतीय अधिकारियों के साथ आवश्यक राजनयिक समन्वय जारी है। रिपोर्टों के मुताबिक, ब्रिटेन की सभी अदालतों में अपनी अपीलें खारिज होने के बाद नीरव मोदी ने अप्रैल 2026 में अंतिम उम्मीद के तौर पर यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उसने अदालत से अपने प्रत्यर्पण पर रोक लगाने और अंतरिम राहत देने की मांग की थी। हालांकि अदालत ने उसकी दलीलों को स्वीकार नहीं किया और न तो कोई अंतरिम आदेश जारी किया और न ही प्रत्यर्पण

प्रक्रिया पर रोक लगाई। इस फैसले के साथ ही प्रत्यर्पण को चुनौती देने का उसका अंतिम कानूनी विकल्प भी समाप्त हो गया है। नीरव मोदी मार्च 2019 से लंदन की एचएमपी वैड्सवर्थ जेल में बंद हैं। गिरफ्तारी के बाद से उसने ब्रिटेन की विभिन्न अदालतों में कई बार जमानत और प्रत्यर्पण रोकने के लिए याचिकाएं दायर कीं, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। वर्ष 2021 में तत्कालीन ब्रिटिश गृह सचिव प्रीति पटेल ने भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी थी। इसके बाद भी उसने विभिन्न कानूनी आधारों पर कार्रवाई रोकने का प्रयास जारी रखा। मार्च 2026 में नीरव मोदी ने एक बार फिर अदालत में यह दावा किया था कि भारत भेजे जाने पर उसके मानवाधिकारों का उल्लंघन हो सकता है और उसे प्रताड़ना का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ब्रिटिश न्यायालयों ने इन दलीलों को पर्याप्त आधार नहीं माना और उसकी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद उसने यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय में अंतिम अपील दायर की थी, जिसे भी अब अस्वीकार कर दिया गया है। नीरव मोदी भारत के सबसे बड़े बैंकिंग धोखेदारों में से एक माने जाने वाले पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखेदार प्रमुख आरोपी हैं। जांच एजेंसियों के

अनुसार उसने अपने मामा मेहुल चोकसी के साथ मिलकर बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से बिना पर्याप्त सुरक्षा के फर्जी लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग (LoU) जारी करवाए। आरोप है कि इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर विदेशी बैंकों से भारी धनराशि प्राप्त की गई, जिससे बैंक को लगभग दो अरब अमेरिकी डॉलर (करीब 14 हजार करोड़ रुपये) का नुकसान हुआ। इस मामले में भारत की जांच एजेंसियां केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) लंबे समय से उसके प्रत्यर्पण की मांग कर रही हैं। उसके खिलाफ भारत में धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र और मनी लॉन्ड्रिंग सहित कई गंभीर मामलों की जांच चल रही है। प्रत्यर्पण मामले के अलावा नीरव मोदी को ब्रिटेन में एक अलग वाणिज्यिक मुकदमे में भी बड़ा झटका लगा है। लंदन के सर्किट कर्मशियल कोर्ट ने फैसला सुनाया कि दुबई स्थित फायरस्टार की डायमंड एफरेजर्ड को दिए गए ऋण के संबंध में व्यक्तिगत गारंटी के आधार पर वह बैंक ऑफ इंडिया को लगभग 11.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर (ब्याज सहित) चुकाने के लिए जिम्मेदार है। अदालत ने बैंक के मांग नोटिस को वैध माना और कहा कि भारतीय कानून के

तहत दी गई गारंटी पूरी तरह लागू होती है। यह फैसला नीरव मोदी को कानूनी स्थिति को और कमजोर करने वाला माना जा रहा है। अब जबकि सभी न्यायिक विकल्प समाप्त हो चुके हैं, प्रत्यर्पण प्रक्रिया अंतिम प्रशासनिक चरण में पहुंच गई है। ब्रिटेन के गृह मंत्रालय, भारतीय उच्चायोग और संबंधित सुरक्षा एजेंसियां दस्तावेजों के सत्यापन, यात्रा संबंधी औपचारिकताओं और सुरक्षा व्यवस्था को अंतिम रूप देने में जुटी हैं। आधिकारिक तौर पर प्रत्यर्पण की तारीख की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने ही नीरव मोदी को भारत लाया जा सकता है। यदि प्रत्यर्पण प्रक्रिया निर्धारित योजना के अनुसार पूरी होती है, तो नीरव मोदी को भारत लाकर विशेष अदालतों के समक्ष पेश किया जाएगा, जहां पीएनबी धोखेदार और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में उसके खिलाफ लंबित मुकदमों की सुनवाई आगे बढ़ेगी। लंबे समय से लंबित इस मामले में यह घटनाक्रम भारतीय जांच एजेंसियों के लिए बड़ी कानूनी सफलता माना जा रहा है और इससे देश के सबसे चर्चित आर्थिक अपराध मामलों में न्यायिक प्रक्रिया को नई गति मिलने की उम्मीद है।

भारतीय रेलवे के हरित युग की शुरुआत: 17 जुलाई को दौड़ेगी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे शुभारंभ

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे स्वच्छ और आधुनिक परिवहन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहा है। 17 जुलाई को देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन का शुभारंभ होगा, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह ट्रेन हरियाणा के जींद-सोनीपत रेलखंड पर संचालित होगी और इसे भारतीय रेलवे की हरित परिवहन नीति के तहत विकसित की गई सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक माना जा रहा है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यह परियोजना न केवल देश की तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन करेगी, बल्कि भविष्य में स्वच्छ, टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल रेल परिवहन की दिशा भी तय करेगी। यह ट्रेन पूरी तरह 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत विकसित की गई है। इसके डिजाइन का विकास अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन (RDSO) ने किया है, जबकि इसका निर्माण चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF) में किया गया है। रेलवे का कहना है कि परियोजना में अधिकतम स्वदेशी तकनीक का उपयोग किया गया है, जिससे भारत अब उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा, जिन्होंने हाइड्रोजन आधारित रेल तकनीक विकसित की है। उद्घाटन से पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जींद पहुंचकर तैयारियों की समीक्षा करेंगे। रेलवे और राज्य प्रशासन संयुक्त रूप से उद्घाटन समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। सुरक्षा, स्टेशन प्रबंधन और तकनीकी परीक्षणों को



लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन 1200 किलोवाट क्षमता वाले हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्रोपल्शन सिस्टम से संचालित होगी। इसमें 1200 किलोवाट की दो ड्राइविंग पावर यूनिट्स और आठ आधुनिक यात्री कोच लगाए गए हैं। रेलवे के अनुसार एक बार हाइड्रोजन भरने के बाद यह ट्रेन लगभग 250 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकेगी। प्रारंभिक परीक्षण के दौरान इसकी गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा सुनिश्चित की गई है, जबकि भविष्य में परिचालन परिस्थितियों के अनुसार इसकी गति और क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक को दुनिया की सबसे स्वच्छ ऊर्जा प्रणालियों में माना जाता है। इस तकनीक में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक प्रक्रिया से बिजली उत्पन्न होती है, जिससे ट्रेन के मोटर संचालित होते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, धुआं या अन्य प्रदूषक गैसों का उत्सर्जन नहीं होता। केवल जलवाष्प और ऊष्मा निकलती है, इसलिए इसे शुन्य-उत्सर्जन (Zero Emission) परिवहन प्रणाली की श्रेणी में रखा जाता है। रेलवे का

मानना है कि भविष्य में डीजल ट्रेनों के विकल्प के रूप में यह तकनीक पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। सुरक्षा के लिहाज से भी इस ट्रेन को अत्याधुनिक प्रणालियों से लैस किया गया है। ट्रेन में हाइड्रोजन लीकेज डिटेक्टर, फायर डिटेक्शन सिस्टम, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, स्वचालित नियंत्रण इकाइयां तथा हाइड्रोजन भंडारण के लिए विशेष रूप से सुरक्षित सिलेंडर लगाए गए हैं। किसी भी प्रकार की गैस रिसाव या तकनीकी गड़बड़ी की स्थिति में चेतावनी प्रणाली तुरंत सक्रिय हो जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर ट्रेन की ऊर्जा आपूर्ति स्वतः नियंत्रित की जा सकेगी। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि सभी सुरक्षा उपकरणों की नियमित जांच और रखरखाव सुनिश्चित किया जाएगा। जींद और सोनीपत के बीच लगभग 90 किलोमीटर लंबे रेलखंड पर यह ट्रेन छह स्टेशनों पर रुकेगी। रेलवे ने आम यात्रियों को ध्यान में रखते हुए इसका किराया भी बेहद किफायती रखा है। इस मार्ग पर न्यूनतम किराया 5 रुपये और अधिकतम 25 रुपये निर्धारित किया गया है। वर्तमान में इसी रूट पर चलने वाली डीजल मल्टीपल यूनिट (डीएमयू) ट्रेन को यह दूरी तय करने में लगभग दो घंटे का समय लगता है, जबकि नई हाइड्रोजन ट्रेन से यात्रा अधिक सुगम और समयबद्ध होने की उम्मीद जताई जा रही है। रेलवे के अनुसार इस ट्रेन में लगभग

2,500 यात्रियों के यात्रा करने की क्षमता होगी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर करीब 89 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। भविष्य में तकनीकी उन्नयन के बाद इसकी अधिकतम परिचालन गति 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचाई जा सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह परियोजना भारत में हरित रेल परिवहन के नए युग की शुरुआत साबित हो सकती है। हाइड्रोजन उत्पादन और फ्यूल सेल प्रणाली के संचालन के लिए पर्याप्त जल उपलब्धता भी आवश्यक होती है। रेलवे ने बताया कि इस परियोजना के लिए प्रति घंटे लगभग 40 हजार लीटर पानी की आवश्यकता होगी। इसके लिए स्टेशन परिसरों में वर्षा जल संचयन (रेन वाटर हार्वेस्टिंग) की विशेष व्यवस्था की गई है, ताकि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हुए जल की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा ट्रेन में बैटरी आधारित ऊर्जा भंडारण प्रणाली भी लगाई गई है, जिससे ऊर्जा दक्षता बढ़ेगी और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त ऊर्जा उपलब्ध हो सकेगी। भारतीय रेलवे का मानना है कि यह परियोजना केवल एक नई ट्रेन का शुभारंभ नहीं है, बल्कि देश की परिवहन व्यवस्था को स्वच्छ ऊर्जा आधारित भविष्य की ओर ले जाने वाला महत्वपूर्ण कदम है। यदि यह परियोजना सफल रहती है, तो आने वाले वर्षों में देश के अन्य गैर-विद्युतीकृत रेल मार्गों पर भी हाइड्रोजन आधारित ट्रेनों का संचालन शुरू किया जा सकता है।

गरवी गुजरात हिन्दी

JioTV CHENNAL NO. 2002

Jio Air Fiber

Jio tv +

Jio Fiber

Daily Hunt

ebaba TV

Dish Plus

DTH live OTT

Rock TV

Airtel

Amezone Fire

Roku Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार प्राप्त करने के लिए आज ही गरवी गुजरात हिंदी चैनल देखिये



छोटाउदेपुर के राजवासणा में हेरण नदी पर 82 करोड़ रुपए से अधिक तथा तापी में अंबिका नदी पर 79 करोड़ रुपए से अधिक के खर्च से आकार ले रहे हैं दो आधुनिक रबर डैम

गुजरात में पहली बार दक्षिण कोरियाई तकनीक और जापानी डिजाइन से बनेंगे दो ‘एयर-फील्ड रबर डैम’

राजवासणा रबर डैम
►छोटाउदेपुर के 'राजवासणा रबर डैम से 25 गाँवों के 3420 हेक्टेयर क्षेत्र को होगा सीधा लाभ'
►3.5 एमसीएम पानी के संग्रह के साथ हेरण नदी की बाढ़ और गाद की समस्या का निकलेगा स्थायी समाधान
►बोडेली के राजवासणा में हेरण नदी पर 30 महीने में साकार होगा अत्याधुनिक रबर डैम
►फिलहाल डैम का 75 फीसदी कार्य पूरा हो चुका है
पाठकवाड़ी रबर डैम
►जापानी डिजाइन पर आधारित अत्याधुनिक 'रबर डैम' से 650 हेक्टेयर भूमि को मिलेगा सिंचाई का पानी
►यह रबर ब्लैडर 50 डिग्री से अधिक तापमान सहने के लिए डिजाइन किया गया है, इसकी अनुमानित उम्र लगभग 30 वर्ष है
►अब तक डैम का 90 फीसदी काम पूरा हो चुका है

गांधीनगर, 06 जून : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'कैच द रेन' अभियान के और गति देने के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों तक सिंचाई और पानी की सुविधा को सुदृढ़ करने के लक्ष्य के साथ अनेक भगीरथ प्रयास कर रहे हैं। इसके अंतर्गत, छोटाउदेपुर जिले के निकट हेरण नदी पर अत्याधुनिक 'राजवासणा रबर डैम' तथा तापी जिले की डोलवणा तहसील के पाठकवाड़ी गांव में अंबिका नदी पर 'पाठकवाड़ी रबर डैम' सहित कुल दो आधुनिक रबर डैम प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है, जिनका कार्य अभी प्रगति पर है। इन डैमों के निर्माण में जापानी डिजाइन और दक्षिण कोरियाई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा।

मुंबई सेंट्रल मंडल में जलभराव के कारण रेल यातायात प्रभावित

पश्चिम रेलवे के मुंबई सेंट्रल मंडल में भारी वर्षा के कारण सफाले, केलवे रोड, वसई रोड एवं नालासोपरा स्टेशनों के बीच जलभराव होने से रेल यातायात प्रभावित हुआ है। प्रभावित ट्रेनों विवरण निम्नानुसार है:-

आंशिक निरस्त ट्रेनें

ट्रेन संख्या 12934 अहमदाबाद-बांद्रा टर्मिनस कर्णावती एक्सप्रेस दिनांक- 06.07.2026 को वलसाड स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है तथा ट्रेन संख्या 12933 बांद्रा टर्मिनस-अहमदाबाद कर्णावती एक्सप्रेस 06.07.2026 को वलसाड स्टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट (प्रारम्भ) होगी।

►ट्रेन संख्या 12479 जोधपुर-बांद्रा टर्मिनस सूर्यनगरी एक्सप्रेस दिनांक (यात्रा प्रारंभ: 05.07.2026) को वापी स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है तथा ट्रेन संख्या 12480 बांद्रा टर्मिनस-जोधपुर सूर्यनगरी एक्सप्रेस दिनांक 06.07.2026 को वापी शॉर्ट ओरिजिनेट (प्रारम्भ) होगी।

►ट्रेन संख्या 12932 अहमदाबाद-मुंबई सेंट्रल डबल डेकर एक्सप्रेस दिनांक 06.07.2026 को सूरत स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है तथा ट्रेन संख्या 12931 मुंबई सेंट्रल-अहमदाबाद डबल डेकर एक्सप्रेस दिनांक 06.07.2026 को सूरत से शॉर्ट ओरिजिनेट (प्रारम्भ) होगी।

►ट्रेन संख्या 12990 अजमेर-दादर एक्सप्रेस दिनांक 05.07.2026 को (यात्रा प्रारम्भ करने वाली) नवसारी स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है तथा ट्रेन संख्या 12989 दादर-अजमेर एक्सप्रेस दिनांक 06.07.2026 को नवसारी से शॉर्ट ओरिजिनेट (प्रारम्भ) होगी।

अहमदाबाद मंडल: डीआरएम वेद प्रकाश ने किया मानसून तैयारियों एवं विभिन्न निर्माण कार्यों का सघन निरीक्षण

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल पर मानसून के दौरान सुचारू रेल परिचालन और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मण्डल रेल प्रबंधक (DRM) श्री वेद प्रकाश ने 05.07.2026 को अहमदाबाद-बारेजड़ी और अहमदाबाद-विरमगाम रेलखंडों का विस्तृत निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मानसून की तैयारियों, जल निकासी व्यवस्था और मण्डल पर विभिन्न स्टेशनों पर चल रहे पुनर्विकास कार्य की समीक्षा की।

मानसून तैयारी एवं सुरक्षा पर विशेष ध्यान

निरीक्षण के दौरान मण्डल रेल प्रबंधक ने वर्षा के दौरान ट्रैक पर जलभराव (Waterlogging) को रोकने के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि रेल पटरियों के किनारे स्थित नालों और पुलों की साफ-सफाई सुनिश्चित की जाए ताकि पानी का बहाव निबांध रहे। साथ ही, रेल अंडर ब्रिज (RUBs) का भी निरीक्षण किया गया ताकि बारिश में जल जमाव के कारण यातायात बाधित न हो।



विशेषता

इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हेरण नदी पर 180 मीटर की लंबाई और 3.5 मीटर की ऊंचाई वाला एक आधुनिक रबर ब्लैडर स्थापित किया जाएगा। इस रबर डैम टेक्नोलॉजी की मुख्य विशेषता यह है कि इससे मौजूदा पुराने वीयर (छोटे बांध) की जल संग्रह क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि होगी और कुल 25 गांवों के किसानों को सिंचाई की सुविधा मिलती रहेगी और डैम सही ढंग से कार्यरत रहेगा।

अन्य फायदे

गाद से मुक्ति :

पुराने वीयर में जमा होने वाली रेत और गाद के कारण जल भंडारण क्षमता कम हो जाती थी, अब रबर डैम पद्धति से इस गाद को पूरी तरह से हटाया जा सकेगा। बाढ़ नियंत्रण : मानसून के दौरान भारी बाढ़ की स्थिति में रबर डैम को 'डिफ्लेट' (हवा निकालकर खाली करना) किया जा सकेगा, जिससे बाढ़ का पानी तेजी से चलने, आसपास के क्षेत्रों का भूमिगत जल स्तर काफी ऊंचा उठ जाएगा, जिससे सिंचाई और पेयजल का पानी आसानी से उपलब्ध होगा। मौजूदा स्थिति के अनुसार डैम का 75 फीसदी काम पूरा हो चुका है।

गुजरात में रिहायशी इलाके तक पहुंचा शेर, किसान पर जानलेवा हमला; आधे घंटे तक जबड़ों में दबाए रखा हाथ, संघर्ष कर बचाई जान

भावनगर। गुजरात के भावनगर जिले के पालीताना तालुका में सोमवार सुबह हुई एक सनसनीखेज घटना ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। गरजिया गांव में एक एशियाई शेर ने खेत की ओर जा रहे किसान पर हमला कर दिया और उसका हाथ अपने जबड़ों में दबोचकर करीब आधे घंटे तक पकड़े रखा। किसान ने दर्द और भय के बीच अद्भुत साहस का परिचय देते हुए लगातार संघर्ष किया और अंततः किसी तरह खुद को शेर के चंगुल से छुड़ाने में सफल रहा। गंभीर रूप से घायल किसान को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि घटना के बाद गांव और आसपास के क्षेत्रों में भय का माहौल है। वन विभाग ने सूचना मिलते ही रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया है और शेर को सुरक्षित पकड़ने के लिए इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई है। घायल किसान की पहचान शेर की पकड़ कुछ ढीली हुई। इसी मौके का फायदा उठाकर उन्होंने पूरी ताकत से अपना हाथ छुड़ाया और वहां से भागने लगे। किसान के भागते ही शेर है। उन्होंने बताया कि सोमवार सुबह वही रोज की तरह अपनी गाय को चारा खिलाते के लिए घर से निकले थे। गांव से कुछ दूरी पर पहुंचते ही झाड़ियों की ओर से अचानक एक शेर निकला और बिना किसी चेतावनी के उन पर हमला कर दिया। कालूभाई के अनुसार, शेर ने सबसे पहले उनकी पीठ पर जोरदार वार किया, जिससे वह संतुलन खोकर जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद शेर ने उनके हाथ को अपने शक्तिशाली जबड़ों में दबोच लिया। अचानक हुए इस हमले से वह पूरी तरह असाहाय हो गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। कालूभाई ने बताया कि शेर लंबे समय तक उनका हाथ नहीं छोड़ रहा था। दर्द असहनीय था, लेकिन उन्होंने लगातार खुद को



बचाने की कोशिश जारी रखी। उन्होंने शेर के चेहरे और शरीर पर हाथों से वार करना और उसे खरोंचना शुरू किया। काफी देर तक चले इस संघर्ष के बाद शेर की पकड़ कुछ ढीली हुई। इसी मौके का फायदा उठाकर उन्होंने पूरी ताकत से अपना हाथ छुड़ाया और वहां से भागने लगे। किसान के भागते ही शेर है। उन्होंने बताया कि सोमवार सुबह वही रोज की तरह अपनी गाय को चारा खिलाते के लिए घर से निकले थे। गांव से कुछ दूरी पर पहुंचते ही झाड़ियों की ओर से अचानक एक शेर निकला और बिना किसी चेतावनी के उन पर हमला कर दिया। कालूभाई के अनुसार, शेर ने सबसे पहले उनकी पीठ पर जोरदार वार किया, जिससे वह संतुलन खोकर जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद शेर ने उनके हाथ को अपने शक्तिशाली जबड़ों में दबोच लिया। अचानक हुए इस हमले से वह पूरी तरह असाहाय हो गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। कालूभाई ने बताया कि शेर लंबे समय तक उनका हाथ नहीं छोड़ रहा था। दर्द असहनीय था, लेकिन उन्होंने लगातार खुद को

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने प्रखर राष्ट्रवादी विचारक एवं भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गुजरात विधानसभा पोडियम में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के तैलचित्र के समक्ष भावपुष्प अर्पित कर कृतज्ञता व्यक्त की

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने प्रखर राष्ट्रवादी विचारक और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने सोमवार को गुजरात विधानसभा पोडियम में श्यामा प्रसाद जी के तैल चित्र के समक्ष भावपुष्प अर्पित किए। मुख्यमंत्री ने डॉ. मुखर्जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए एक ट्वीट में कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर के पूर्ण एकीकरण और सामान्य नागरिक अधिकारों के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष किया था। उन्होंने कहा कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान की नीति को दूर करने का डॉ. मुखर्जी का विजन आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में साकार हुआ है। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि डॉ. मुखर्जी के विचार और राष्ट्र प्रथम की भावना सभी के हृदय में मातृभूमि

ऊंचाई वाले चेकडैम या वीयर संरचना का निर्माण संभव नहीं था। स्थानीय किसान अग्रणियों और विधायक श्री मोहनभाई कोकणी के निवेदन के चलते विभाग ने इस बारे में सर्वेक्षण किया। जिसके आधार पर पारंपरिक बैराज के स्थान पर अधिक जल संग्रहण की क्षमता वाला जापानी टेक्नोलॉजी पर आधारित 'एयर-फील्ड रबर डैम' बनाने का अभिनव निर्णय लिया गया।

जापानी डिजाइन और कोरियन रबर ब्लैडर की विशेषता

इस अनोखे डैम को जापानी कोड 2000 के अनुसार डिजाइन किया गया है। इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने वाला विशेष प्रकार का रबर ब्लैडर दक्षिण कोरिया से मंगाया गया है, जिसकी चौड़ाई 18 एमएम से 32 एमएम तक है। यह रबर ब्लैडर 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान को सहन करते हुए उत्तम तरीके से काम करने में सक्षम है। इसकी अनुमानित उम्र 30 वर्ष है।

एससीएडीए ऑटोमेशन से होगा संचालन

इस डैम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें बिना किसी मैनपावर के कंप्यूटर के जरिए सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन (एससीएडीए) ऑटोमेशन सिस्टम से ही रबर ब्लैडर में हवा भरने (इन्फ्लेट) और हवा निकालने (डिफ्लेट) का काम आसानी से हो जाएगा। 2.50

मीटर के रबर ब्लैडर को 'जे' बोल्ट (अंग्रेजी के 'जे' अक्षर के आकार वाला) से 2.00 मीटर के कंक्रीट बेस पर फिक्स किया जाएगा। इससे डैम की कुल ऊंचाई 4.50 मीटर और कुल लंबाई 280 मीटर (4 स्पैन) सुनिश्चित होगी।

मानसून में बाढ़ और मिट्टी का कटाव रुकेगा

पारंपरिक स्टील गेटेड डैम की तुलना में रबर डैम मानसून में बाढ़ के दौरान नदी के प्रवाह में जरा भी अवरोध पैदा नहीं करता, जिससे नदी तट की मिट्टी का कटान रुकेगा। इसके अलावा, रबर की हवा निकालने पर नदी के बहाव के साथ आने वाली गाद भी आसानी से बह जाएगी, जिससे डैम की जल संग्रहण क्षमता वर्षों तक बनी रहेगी।

650 हेक्टेयर जमीन को मिलेगी संजीवनी और भूमिगत जल स्तर में वृद्धि

इस आधुनिक रबर डैम के बनने से लगभग 3.50 लाख घन मीटर (3.50 एमसीएम) विशाल जलराशि को संग्रहण होगा, जिसके सीधे फायदे के रूप में आसपास की 650 हेक्टेयर जमीन के लिए सिंचाई सुविधा सुनिश्चित होगी। इतना ही नहीं, आसपास के क्षेत्रों के कुएं और बोर का भूमिगत जल स्तर ऊंचा उठने से स्थानीय लोगों को पेयजल की समस्या से हमेशा के लिए मुक्ति मिलेगी। भविष्य में यह टेक्नोलॉजी समुद्र के खारे पानी को मोटे पानी में मिलाने से रोकने के लिए 'टाइडल रेगुलेटर' के रूप में भी अत्यंत उपयोगी साबित होगी।

रेस्क्यू अभियान शुरू किया। वन विभाग के कर्मचारी लगातार आसपास के खेतों, झाड़ियों और जंगल से लगे इलाकों में निगरानी कर रहे हैं ताकि शेर को बिना किसी नुकसान के पकड़ा जा सके और उसे उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ा जा सके। घटना के बाद गरजिया गांव का माहौल है। ग्रामीण अपने घरों से निकलने में डर महसूस कर रहे हैं। किसान खेतों में अकेले जाने से बच रहे हैं और पशुपालकों ने भी अपने मवेशियों को खुले में छोड़ने के बजाय सुरक्षित स्थानों पर बांधना शुरू कर दिया है। सबसे अधिक चिंता बच्चों की सुरक्षा को लेकर है। डर के कारण सोमवार को कई बच्चों ने स्कूल नहीं जाने का फैसला किया और अभिभावकों ने भी उन्हें घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी। गांव में दिनभर लोग समूह बनाकर ही आवागमन करते रहे।

स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ समय से वन्यजीवों की आबादी बढ़ने और जंगलों के आसपास मानवीय गतिविधियां बढ़ने के कारण शेरों का रिहायशी क्षेत्रों की ओर आना लगातार बढ़ रहा है। इससे इंसानों और वन्यजीवों के बीच टकराव की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। ग्रामीणों का मानना ​​है कि यदि समय रहते निगरानी और बचाव के पर्याप्त इंतजाम किए जाएं तो ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है। पालीताना तालुका पंचायत सदस्य चेतन डाभी ने भी घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए वन विभाग से तत्काल प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आबादी वाले क्षेत्रों में घूम रहे शेरों को सुरक्षित तरीके से पकड़कर जंगल



के प्रति समर्पण की ज्योति को सदैव प्रज्वलित रखेंगी। इस अवसर पर विधानसभा उपाध्यक्ष श्री पूर्णेशभाई मोदी, सचेतक श्री

डॉ. आशीष दवे, उप महापौर और मनपा के पदाधिकारी तथा विधानसभा सचिव श्री चेतन पंड्या सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे।

